

सेवामें

श्री मान् कलेक्टर महोदय  
सिंगरौली, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

**बिषय :-** न्यूज-24 व न्यूज-24 के सिंगरौली से संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा मामला क 621/16 में आरोपीओं व कम्पनी से पैसे ले कर मामले को दवाये जाने बावत्

महोदय

सबिनयबिनम्र निवेदन हैं, कि प्रार्थी निरज कुमार गुप्ता को न्यूज-24 सिंगरौली के संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा दिनांक 21 मई 2016 को मामला क 621/16 को न्यूज-24 समाचार चैनल में प्रसारित करने के लिए प्रार्थी का बयान कैमरे में लिया गया। और प्रार्थी द्वारा मामले की सारी वारदात व सबुत न्यूज-24 के संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय को दिया गया। व देवेन्द्र पाण्डेय के कहने पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के वकील का बयान कैमरे में ले कर दिनांक 26 मई 2016 को व्हाट्सॉप नम्बर 9425303690 व 9165538865 पर देने के बाद भी न्यूज-24 समाचार चैनल में प्रसारित नहीं किया गया। तब दिनांक 02 जून 2016 को ट्विटर के द्वारा न्यूज-24 के अधिकारीओ को उक्त मामले की जानकारी देने पर, दिनांक 06 जून 2016 को देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा प्रार्थी वकील का बयान कैमरे में दुवारा लिया गया। फिर भी 16 जून 2016 तक मामले को प्रसारित नहीं किया गया। जब देवेन्द्र पाण्डेय से 17 जून 2016 को इस बावत् जानकारी मागी गई। तो देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा पहले कहा गया कि मामले में कोई सच्चाई नहीं। बाद में कहा गया की वो बिना पैसे लिए कोई भी खबर प्रसारित नहीं करता। और देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा 1500 रु की मांग किया गया। साथ में देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा उसी के व्हाट्सॉप नम्बर 9425303690 से उसके फोटो को मिटा दिया गया। जिससे पहचान को मिटाई जा सकें। जब की प्रार्थी द्वारा देवेन्द्र पाण्डेय को उसके आने-जाने (100km) खर्च के लिए 200 नगद व 175 किमत की दिल्ली मेटो की कार्ड (मेटो की कार्ड में करीब 125 का बलेन्स व मेटो की कार्ड की किमत 50) दिया गया।

न्यूज-24 चैनल द्वारा इस्तीहार कर एक व्हाट्सॉप नम्बर 9910043896 दे कर खबर प्रसारित के लिए देश के हर कोने से खबर मांगा जा रहा हैं। प्रार्थी द्वारा भी 14 जून 2016 को रात 9:10 बजे उक्त मामले की जानकारी उक्त व्हाट्सॉप नम्बर 9910043896 पर दिया गया। व न्यूज-24 के सिंगरौली से संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय की शिकायत भी किया गया। जिससे न्यूज-24 द्वारा 22 जून 2016 को व्हाट्सॉप से नम्बर 9910043896 को मिटा दिया गया। जिससे सबुत को मिटाया जा सके। जिससे यह स्पष्ट है कि न्यूज-24 चैनल व न्यूज-24 से सिंगरौली के संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा आरोपीओ व कम्पनी से पैसे ले कर मामला क 621/16 को दबाने की भरपूर कोशिश किया गया। तब प्रार्थी द्वारा ट्विटर के द्वारा न्यूज-24 के उक्त कृत को उजागर किया गया। जिससे न्यूज-24 द्वारा उक्त नम्बर 9910043896 को दिनांक 25 जून 2016 को पुनः जोडकर व्हाट्सॉप पर पहचान को छुपाने फोटो व जानकारी को नष्ट कर दिया गया। पर प्रार्थी द्वारा ट्विटर के द्वारा न्यूज-24 के उक्त कृत को उजागर किया जाता रहा। जिससे दिनांक 18 जुलाई को न्यूज-24 के अधिकारी पंकज शर्मा द्वारा ऑफिस से फोन (+911203911411) कर उक्त मामले को शान्त करने के लिए प्रार्थी का वयान विडियो देवेन्द्र पाण्डेय से दिलवाने की बात कहीं। पर देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा पहले देने को कहा लेकिन अब देने से साफ मना कर अंजाम भुगतने की बात कर रहा। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त मामले में आरोपीओं के साथ-साथ न्यूज-24 चैनल व न्यूज-24 से सिंगरौली के संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय भी कहीं न कहीं आरोपीओं व विप्रो के साथ हैं।

अस्तु श्री मान जी से बिनम्र निवेदन हैं, कि उक्त मामले में उचित कार्यवाही करने की महान कृपा करे संलग्न:

- 1, थाना बरगवां में शिकायत छायाप्रति (1)
- 2, व्हाट्सएप चैटिंग की छायाप्रति (15)
- 3, आफिसीयल व्हाट्सएप में शिकायत करने पर नंबर डिलीट की व पुनः जोडने की छायाप्रति (18)
- 4 मामला 621/16 न्यायालय के आदेश की छायाप्रति (3)

~~निरज गुप्ता~~  
30/07/16

प्रार्थी

निरज कुमार गुप्ता

Email-id [Neeraj.gupta615@gmail.com](mailto:Neeraj.gupta615@gmail.com)

Co. No. +91-7771822877

*Neeraj*  
30-7-16  
आवक शाखा  
कलेक्टर जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

सेवामें

श्री पुलिस अधिष्ठाक महोदय  
सिंगरौली, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

**बिषय :-** न्यूज-24 व न्यूज-24 के सिंगरौली से संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा मामला क्र 621/16 में आरोपीओं व कम्पनी से पैसे ले कर मामले को दवाये जाने बावत्

**महोदय**

सबिनयबिनम्र निवेदन हैं, कि प्रार्थी निरज कुमार गुप्ता को न्यूज-24 सिंगरौली के संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा दिनांक 21 मई 2016 को मामला क्र 621/16 को न्यूज-24 समाचार चैनल में प्रसारित करने के लिए प्रार्थी का बयान कैमरे में लिया गया। और प्रार्थी द्वारा मामले की सारी वारदात व सबुत न्यूज-24 के संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय को दिया गया। व देवेन्द्र पाण्डेय के कहने पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के वकील का बयान कैमरे में ले कर दिनांक 26 मई 2016 को व्हाट्सॉप नम्बर 9425303690 व 9165538865 पर देने के बाद भी न्यूज-24 समाचार चैनल में प्रसारित नहीं किया गया। तब दिनांक 02 जून 2016 को ट्विटर के द्वारा न्यूज-24 के अधिकारीओ को उक्त मामले की जानकारी देने पर, दिनांक 06 जून 2016 को देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा प्रार्थी वकील का बयान कैमरे में दुबारा लिया गया। फिर भी 16 जून 2016 तक मामले को प्रसारित नहीं किया गया। जब देवेन्द्र पाण्डेय से 17 जून 2016 को इस बावत् जानकारी मागी गई। तो देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा पहले कहा गया कि मामले में कोई सच्चाई नहीं। बाद में कहा गया की वो बिना पैसे लिए कोई भी खबर प्रसारित नहीं करता। और देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा 1500 रु की मांग किया गया। साथ में देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा उसी के व्हाट्सॉप नम्बर 9425303690 से उसके फोटो को मिटा दिया गया। जिससे पहचान को मिटाई जा सकें। जब की प्रार्थी द्वारा देवेन्द्र पाण्डेय को उसके आने-जाने (100km) खर्च के लिए 200 नगद व 175 किमत की दिल्ली मेटो की कार्ड (मेटो की कार्ड में करीब 125 का बलेन्स व मेटो की कार्ड की किमत 50) दिया गया।

न्यूज-24 चैनल द्वारा इस्तीहार कर एक व्हाट्सॉप नम्बर (9910043896) दे कर खबर प्रसारित के लिए देश के हर कोने से खबर मांगा जा रहा है। प्रार्थी द्वारा भी 14 जून 2016 को रात 9:10 बजे उक्त मामले की जानकारी उक्त व्हाट्सॉप नम्बर 9910043896 पर दिया गया। व न्यूज-24 के सिंगरौली से संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय की शिकायत भी किया गया। जिससे न्यूज-24 द्वारा 22 जून 2016 को व्हाट्सॉप से नम्बर 9910043896 को मिटा दिया गया। जिससे सबुत को मिटाया जा सके। जिससे यह स्पष्ट है कि न्यूज-24 चैनल व न्यूज-24 से सिंगरौली के संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा आरोपीओ व कम्पनी से पैसे ले कर मामला क्र 621/16 को दबाने की भरपुर कोशिश किया गया। तब प्रार्थी द्वारा ट्विटर के द्वारा न्यूज-24 के उक्त कृत को उजागर किया गया। जिससे न्यूज-24 द्वारा उक्त नम्बर 9910043896 को दिनांक 25 जून 2016 को पुनः जोडकर व्हाट्सॉप पर पहचान को छुपाने फोटो व जानकारी को नष्ट कर दिया गया। पर प्रार्थी द्वारा ट्विटर के द्वारा न्यूज-24 के उक्त कृत को उजागर किया जाता रहा। जिससे दिनांक 18 जुलाई को न्यूज-24 के अधिकारी पंकज शर्मा द्वारा ऑफिस से फोन (+911203911411) कर उक्त मामले को शान्त करने के लिए प्रार्थी का बयान विडियो देवेन्द्र पाण्डेय से दिलवाने की बात कही। पर देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा पहले देने को कहा लेकिन अब देने से साफ मना कर अंजाम भुगतने की बात कर रहा। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त मामले में आरोपीओं के साथ-साथ न्यूज-24 चैनल व न्यूज-24 से सिंगरौली के संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय भी कहीं न कहीं आरोपीओं व विप्रो के साथ हैं।

अस्तु श्री मान जी से बिनम्र निवेदन हैं, कि उक्त मामले में उचित कार्यवाही करने की महान कृपा करे संलग्न:

- 1, थाना बरगवां में शिकायत छायाप्रति (1)
- 2, व्हाट्सएप चैटिंग की छायाप्रति (15)
- 3, आफिसीयल व्हाट्सएप में शिकायत करने पर नंबर डिलीट की व पुनः जोडने की छायाप्रति (18)
- 4 मामला 621/16 न्यायालय के आदेश की छायाप्रति (3)

N.K. Gupta

प्रार्थी

निरज कुमार गुप्ता

Email-id [Neeraj.gupta615@gmail.com](mailto:Neeraj.gupta615@gmail.com)

Co. No. +91-7771822877

दिनांक  
30/07/16

